

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.-8/ज.स.(नि.)राँची-2/2011:-.....राँची, दिनांक:-.....

आदेश

श्री उपेन्द्र नारायण सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, राँची द्वारा बरती गई अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता के कथित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या 1636 दिनांक 14.03.13 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई।

3. सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार ने श्री उपेन्द्र नारायण सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता को उक्त आरोपों से आरोपमुक्त करने का निर्णय लिया है।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/-

(डॉ. लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 2061 /राँची, दिनांक:- 6-3-14 /
प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, यांत्रिक, राँची/कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमण्डल, राँची/संयुक्त सचिव (प्रबन्धन), जल संसाधन विभाग, राँची/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-02), जल संसाधन विभाग, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची/महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड, राँची/श्री उपेन्द्र नारायण सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, राधायण, आइ.ए.एस. कोलोनी, बैंक कोलोनी, नहर से पश्चिम, बेली रोड, पोस्ट-दानापुर कैंट, पटना-801503 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ. लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

5-3-14